तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज	नम्बर व अहकाम जो कि हुक्म की तामील में जारी हुए
29/8/25	पत्रावली पेश। जवाब प्रा०पत्र O7 R11 अप्रार्थी का पेश किया, जो शा०मिसल किया गया। वास्ते बहस प्रा०पत्र दिनांक- 04/9/25 को पेश हो।	
4/9/25	पत्रावली पेश। प्रा०पत्र पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक- 10/9/25 को पेश हो।	
10/9/25	पत्रावली पेश। वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक- 18/9/25 को पेश हो।	
18/9/25 उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर दौराने बहस कथन किया कि वादी ने इकरारनामें के आधार पर खरीद करने से स्थायी निषेधाज्ञा से दावा पेश किया है। विवादित भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है। किसी भी खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। उक्त वाद के माध्यम से अपना कब्जा सुरक्षित करवाना चाहते है। इकरारनामें के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। अनरजिस्टर्ड स्टाम्प व इकरारनामें के वाद को सुना जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इकरारनामें की पालना की अवधि केवल 3 वर्ष की है। उसकी पालना के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इस न्यायालय में इस प्रकार का वाद सुना जाना विधि वर्जित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारीज किया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) खण्डन में कथन किया कि हमारा विवादित भूमि पर वर्ष 2016 से कब्जा चला आ रहा है। हमने अपने	

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कब्जे को सुरक्षित करने के लिए धारा 188 आर0टी0एक्ट में दावा पेश किया है। हमारा विवादित भूमियों पर कब्जा व अधिकार है या नहीं का निर्धारण साक्ष्य के दौरान तय होना है। विवादित भूमि की किस्म कृषि भूमि होने से उनको सुने जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को होने से हम यहॉ वाद लेकर आये है। प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

वकील अप्रार्थी के उक्त तथ्यों के खण्डन में पुनः वकील प्रार्थी ने कथन किया कि धारा 188 आर0टी0एक्ट0 के तहत कब्जा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, ये इकरारनामें के आधार संविधान की विशिष्ट अनुपालना का वाद सिविल न्यायालय में दर्ज करवाकर राहत प्राप्त कर सकते है। राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों कोई रास्ते प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया। वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 28.04.2016 को विवादित भूमि का इकरारनामा बाबत बेचान भूमि का स्टाम्प पर निष्पादित किए जाने से उक्त इकरारनामें के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु पेश किया है। प्रस्तुत इकरारनामा अनरजिस्टर्ड है। विवादित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 में यह मुख्यतः देखा जायेगा कि वाद विधि द्वारा वर्जित है या नहीं वादी इकरारनामें के आधार पर दावा लेकर आया है वह अनरजिस्टर्ड है।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों का ससम्मान अवलोकन किया गया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 में जिन देशाओं में वादपत्र को नामंजूर किया जाता है उनमें एक यह भी है कि "वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है"। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इकरारनामें से खरीद की गई भूमि पर खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का है। वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत केवल खातेदार ही किसी अन्य खातेदार/व्यक्तियों के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर सकता है। वादपत्र में अंकित तथ्यों अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की ... में जारी हुए
	अनरजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर वाद इस न्यायालय द्वारा सुना जाना विधि अनुरूप नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निष्पादित किए गए इकरारनामें के आधार पर उसकी पालना हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए। प्रकरण में उपरोक्त विवेचनानुसार इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने/ विधि वर्जित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	